संख्या-178/2016-1672/नौ-5-2016-69एम/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
बॉसी(सिद्वार्थनगर)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 23 जून, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, सिद्वार्थनगरके पत्र संख्या-768(1)/एल.बी.सी./2015-16 दिनांक 30 मई, 2015 के क्रम में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-562एम/नौ-5-2014-69एम/2014 दिनांक 28 जनवरी, 2015 द्वारा नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर पालिका परिषद, बॉसी (सिद्वार्थनगर) को कुल **रू. 295.43 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि रू. 147.71 (रू. एक करोड़ सैंतालिस लाख इकहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए यह निर्देश दिये गये थे कि उक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक आहरण् कर उपभोग कर ली जाय, परन्तु स्टेट बैंक का सर्वर फेल हो जाने के फलस्वरूप उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा सका और धनराशि लैप्स/व्यपगत हो गयी।

2. उपर्युक्त प्रकरण में मुख्य कोषाधिकारी, सिद्वार्थनगर द्वारा उपलब्ध कराये गये नान पेमेन्ट सर्टिफिकेट के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सड़क निर्माण के कुल 09 कार्यो के सापेक्ष रू. 295.43 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू. 147.71 (रू. एक करोड़ सैंतालिस लाख इकहत्तर हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रार्थित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त होने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सिद्वार्थनगर	नगर पालिका परिषद, बॉसी	1. (बॉसी इटवा रोड) वार्ड संख्या-11 सुभाष नगर में सन्नर के मकान से नगर पालिका बार्डर तक सड़क/नाली निर्माण	31.80		
			2. (बॉसी इटवा रोड) वार्ड संख्या-11 सुभाष नगर में नगर पालिका सीमा से 265 मी0 प्रथम चैनेज इंटरलाकिंग पटरी कार्य	30.09		
			3. वार्ड सं0-12 निराला नगर में शिवाला से नौगढ़-बॉसी मार्ग तक मिटटी भराई, सोलिंग, इंटरलाकिंग का कार्य	34.16		
			4. (बॉसी इटवा रोड) वार्ड संख्या-11 सुभाष नगर में इब्राहीम के मकान से फरहारी बाबा के स्थान पर पिच एवं इंटरलाकिंग पटरी कार्य	37.50		

5. (बॉसी इटवा रोड) वार्ड संख्या-11 सुभाष नगर में बॉसी अटवा रोड से बसन्तपुर सीमा तक फरहारी बाबा स्थान से बसन्तपुर बार्डर तक पिच एवं इंटरलाकिंग पटरी कार्य	37.94		
6. (बॉसी इटवा रोड) वार्ड संख्या-21 निषाद नगर में रतनसेन इंटरव्यू कालेज रोड से महरवाजोत मोड़ तक सड़क/नाली निर्माण	39.52		
7. वार्ड सं0-3 पटेल नगर में बॉसी नौगढ़ रोड से बद्री श्रीवास्तव के मकान तक पिच एवं इंटरलाकिंग पटरी	27.52		
8.वार्ड सं0-14 अशोक नगर में ब्लाक से पण्डित शेषदत्त त्रिपाठी की मूर्ति तक पिच एवं इंटरलाकिंग पटरी कार्य	29.80		
9. वार्ड सं0-14 पटेल नगर में बद्री श्रीवास्तव के मकान से ईदगाह तक पिच एवं इंटरलाकिंग पटरी कार्य	28.08		
योग	**296.41**	**295.43**	**147.71**

(रू. एक करोड़ सैंतालिस लाख इकहत्तर हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी.एल.ए/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्प्ले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-12-2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-178/2015-1672(1)/नौ-5-2016-69एम/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, बस्ती।
3. जिलाधिकारी, सिद्वार्थनगर।
4. कोषाधिकारी, सिद्वार्थनगर।
5. निदेशक,स्थानीय निकाय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र.इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद जनपद बॉसी जनपद सिद्वार्थनगर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-23/06/2016

प्रेषण संख्या:- 178

आवंटन आदेश संख्या:- 001-178-2016-1672-9-5-2016-69M-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14771000 14771000	14771000 14771000
	योग	वर्तमान प्रगामी	14771000 14771000	14771000 14771000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ सैंतालीस लाख इकत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ सैंतालीस लाख इकत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी